न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/6/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप० है। अप्रार्थीगण का जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा। आगामी तारीख पेशी पर जवाब पेश नहीं करने पर स्वत: बन्द के आदेश दिये जाते है। अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी पेशी तक बढ़ायी जाती है। पत्रावली दिनांक 5/10/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
5/10/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप० है। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया है। जवाब अप्रार्थीगण बन्द किया जाता है। बहस प्रार्थना पत्र अ.इ. सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए दिनांक 2.11.2018 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पुष्ट किये जाने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज एवं बहस प्रार्थना पत्र पर मनन किया। प्रार्थीगण भूमि के रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्त होने के कारण प्रकरण प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। अत: ग्राम गंभीरा की भूमि खसरा सं. 440 रकबा 1 बीघा पर ताफैसला वाद रिकार्ड एवं मौके की [illegible] रखने की अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है। [illegible]णय खुले न्यायालय में [illegible]। पत्रावली बाद तकमील मूलवाद के साथ संलग्न रहे। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.22 15:16:23 IST
Reason: SelfAttested